पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0–3–40/13– 17/आ०प्र० दिनांक 13.08.13 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष– 102– विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उप शीर्ष–0005–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड– एन०2245801020005– सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में पटना जिले को 400000.00 (चार लाख) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013–14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माँग संख्या– 39, विषय शीर्ष– 21 01– सामग्री एवं पूर्तियाँ

(रूपये लाख में)

क्रमांक	आवंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	प्रभारी उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना	**0.00**	**4.00**	**4.00**
	कुल उपावंटित राशि :–	**0.00**	**4.00**	**4.00**

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय बजट गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष– 102– विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उप शीर्ष– 0005–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण मद् में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. यह राशि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण के क्रम में Database Management एवं Documentation हेतु उपकरणों/उपस्कर/स्टेशनरी आदि के लिए उपावंटित की जा रही है।
3. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद् में किया जाय जिस मद् के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य म् में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
4. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।
5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक हीं उपशीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नही हो।

6. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2014 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-20/2013 1082 /आ०प्र०, दिनांक 06/09/13

प्रतिलिपि :– प्रभारी उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।